न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2024/60
मैन्युअल नंबर 17/2024

रजु दिनांकः :— 02.09.2024

1. खेमराज पुत्र सांवलराम जाति मीना निवासी रामनगर रेवडी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)

2 रामकेश
3. राकेश
] पि0 सांवलराम जाति मीना निवासी माद्या वाला तह0 तूंगा जिला जयपुर

(अपीलांटस)

बनाम

1. बाई मीना पुत्री घनश्याम धर्मपत्नी रामखिलाडी जाति मीना निवासी 4456 मीणो का मोहल्ला आरएसी लाईन घाटगेट जयपुर
2. रूकमणी धर्मपत्नी कृष्ण कुमार जाति मीना निवासी रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा
4. उपपंजीयक रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः— 01. अपीलांटस की ओर से : श्री रमेशचंद सैनी एडवोकेट
02. रेस्पोडेन्टस की ओर से : श्री राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः 07/04/2025

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 531 वाकै ग्राम सिसोदिया तहसील रामगढ पचवारा बाबत् पारित आदेश दिनांक 10.06.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 531 वाकै ग्राम सिसोदिया तहसील रामगढ पचवारा बाबत् पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 इस आशय की पेश की गई कि आराजी ख0नं0 144 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, ख0नं0 208 रकबा 0.0253 हैक्टेयर ख0नं0 213 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कुल किता तीन कुल रकबा 0.0632 व ख0नं0 145 रकबा 1.2520 हैक्टेयर ख0नं0 295 रकबा 0.7714 कुल किता दो कुल रकबा 2.0234 हैक्टेयर ख0 नं0 369/297 रकबा 0.5311 हैक्टेयर वाकै ग्राम सिसोदिया पटवार हल्का सोनड तहसील रामगढ

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

पचवारा जिला दौसा राज0 में स्थित है। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा उपरोक्त आराजी कृषि भूमि का नामान्तकरण रेस्पो0 सं0 3 से मिलीभगत व सांठगांठ कर अकेली अपने नाम अवैध व नुमाईशी तौर पर नामान्तरकरण संख्या 529 दिनांक 03.06.2024 को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अवैध व नुमाईशी अंकन के आधार पर आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी ख0नं0 145 रकबा 1.2520 हैक्टेयर व ख0नं0 295 रकबा 0.7714 हैक्टेयर सम्पूर्ण का बेचान गुपचुप में जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2024 को रेस्पो0 सं0 3 के कार्यालय में उपस्थित होकर रेस्पो0 सं0 2 के हक में कर दिया जबकि आराजी वादग्रस्त कृषि भूमियों को अपीलान्टस एवं रेस्पो0 सं0 1 निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परंतु वर्तमान में राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि ख0नं0 145 रकबा 1.2520 है0 व ख0नं0 295 रकबा 0.7714 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी अवैध रूप से गलत सजरा खानदान रेस्पो0 सं0 3 के समक्ष प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं0 1 ने उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमियों का अवैध व नुमाईशी अंकन राजस्व अभिलेख ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कानूनन अवैध व प्रभावशून्य है। आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलान्टस एवं रेस्पो0 सं0 1 लगा0 3 का हिस्सा 1/3–1/3 व रेस्पो0 सं0 1 हिस्सा 1/3 काबिज होकर अपने अपने हिस्से पर आज तक अनवरत वास्तविक वस्तुगत नियंत्रण रखते हुये भौतिक आधिपत्य आज तक चला आ रहा है तथा वर्तमान में अपीलान्टस ने अपने हिस्से 1/3 में बाजरा, ग्वार व तिल की फसल काश्त कर रखी है।

अपीलान्टस व रेस्पो0 सं0 1 को मृतक प्रताप मीना का विधिक उत्तराधिकारी करार देते हुए मृतक प्रताप मीना के विधिक उत्तराधिकारी अपीलान्टस एवं रेस्पो0 सं0 1 का सजरा खानदान निम्नानुसार होना अंकित किया है–

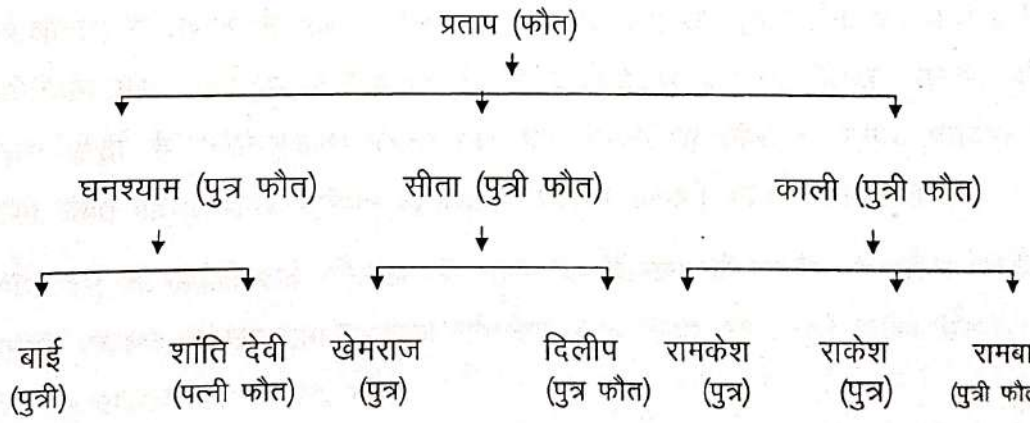

अपीलान्टस ने उपरोक्तानुसार सजरा खानदान होना बताते हुए कथन किए है कि रेस्पो0 सं01 अकेली का आराजी वादग्रस्त से कोई सरोकार वास्ता कभी भी नही रहा परन्तु उसने राजस्व एजेन्सी से साज कर आराजी वादग्रस्त की खातेदारी अवैध रूप से गलत सजरा प्रस्तुत कर अकेली अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अवैध तौर पर मृतक प्रताप मीना की अकेली विधिक वारीस बनकर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया गया। रेस्पो0 सं0 1 ने राजस्व

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

एजेन्सी से मिलिभगत करके गलत प्रकार से अपने हक में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के ही नामान्तरकरण दर्ज करवाया जिसे तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण दिनांक 03.06.2024 को अपीलान्टस को बिना सुनवाई किये व बिना जॉच किये व बिना जानकारी के स्वीकृत कर दिया गया। रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नुमाईशी तौर पर अवैध अंकन के आधार पर रेस्पो0 सं0 2 को जरिये अवैध एवं नुमाईशी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2024 को आराजी ख0नं0 145 व 295 सम्पूर्ण का बेचान कर जो पुस्तक सं0 1 जिल्द सं. 52 में पृष्ठ सं0 144 क्रम सं0 202403308100295 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 148 के पृष्ठ सं0 124 से 132 पर चस्पा किया कर दिया गया जो कि कानूनन अवैध व प्रभावशून्य है।

अपीलान्टस ने अपील के समर्थन में आधार कथन किए है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण बाबत तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 नियम, कायदे, कानूनो की विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसरण के बिना अपने पद का दुरूपयोग करते हुए क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत नामा0 पारित करने से पूर्व रेस्पो0 द्वारा ना तो मृतक प्रताप मीना के सजरा खानदान की जांच की ना ही अपीलान्टस को कोई समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया जबकि अपीलान्टस आराजी भूमि पर अपने हिस्से पर काबिज है। प्रश्नगत नामान्तकरण से संबंधित प्रकरणों में नामा0 दर्ज होने के बाद 45 दिवस की समयावधि तक अधिकार क्षेत्र संबंधित ग्राम पंचायत का है। इस अवधि के बाद ही तहसीलदार को उक्त नामा0 पर निर्णय करने का अधिकार है जबकि तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नामा0 स्वीकृत किया है। उक्तानुसार कथन करते हुए अपीलान्टस ने प्रश्नगत नामा0 संख्या 531 दिनांक 10.06.2024 निरस्तनीय करार दिया है।
अपीलान्टस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश करते हुए अपीलांटस की अपील स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा के नामान्तरकरण संख्या 531 ग्राम सिसोदिया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा बाबत् पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अपीलांटस की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई व तहसीलदार रामगढ पचवारा से मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। मूल नामा0 अभिलेख प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान उक्त आराजी वादग्रस्त को अपीलांट्स की पैतृक सम्पत्ति करार दी व अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील को स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा के नामान्तरकरण संख्या 531 ग्राम सिसोदिया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा बाबत् पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 निरस्त फरमाने का निवेदन किया व अपील के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैः—

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

आरआरटी 2012(1) पेज नं. 350 Ganduri Koteshwaramma vs. Chakiri Yanadi.

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956–धारा 6 (यथा संशोधन) – अधिकारो की समानता – सहदायी सम्पत्ति – पुत्रियों का अधिकार – पैतृक सम्पत्ति में 09.09.2005 से पुत्रियां हिस्से की हकदार है।"

Citation – 2024 (4)CJ(Civ.) (SC) पेज नं. 1297 Tirith Kumar Vs. Daduram.

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि " हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अधिनियम, 1956–धारा 2(2)–व्याप्ति–हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जाति पर प्रयोज्य नहीं किये जा सकते है–इस विधिक स्थिति का प्रेक्षण करते हुए उच्च न्यायालय ने पुत्रियों तथा उनके उत्तरवर्तियों को न्याय, साम्या तथा स्वच्छ अन्तः करण के आधार पर सम्पत्ति में हिस्सा देने की कार्यवाही की– एम की मृत्यु वर्ष 1951 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी होने से पहले हुई– उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय प्रोविन्स विधि अधिनियम के प्रावधानों को तथा विशेष रूप से इसकी धारा 6 की सही अपनाया–आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है।"

आरआरटी 2012 (2) पेज नं. 915–916 Hari Shankar Sharma vs. Puran singh.

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956– धारा 6 (2005 में यथासंशोधित)– सहदायी सम्पत्ति में हित का न्यागमन–सहदायी हिन्दु अविभाजित सम्पत्तियॉ– पूर्व विभाजन की साक्ष्य नहीं – पूजा स्थल विभक्त होने योग्य नही है– अपील के विचाराधीन प्रावधान संशोधित हुआ और पुत्रियों को सम्पत्ति में बराबर अधिकार दिया– निर्णीत, प्रत्येक पक्ष सम्पत्ति में 1/6 हिस्सा पाने का हकदार है।"

अधिवक्ता अपीलांट ने अन्य कानूनी दृष्टांत आरआरटी 2012(2) पेज नं0 936 Nand kishore vs Smt. Rukani Devi,

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956–धारा 6(2005 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित)–सहदायी सम्पत्ति हित का न्यागमन–विभाजन व घोषणा हेतु वाद–संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति–बी.एल. के जीवनकाल में सम्पत्तियों का बंटवारा माप व सीमांकन द्वारा नहीं हुआ–बी. एल. को सम्पत्ति उसके पिताजी से प्राप्त हुई–2005 के अधिनियम का लाभ अन्तिम डिक्री पारित होने तक लागू होगा–बी. एल. की तीनों पुत्रियां संशोधित प्रावधान के दृष्टिगत सम्पत्तियों में बराबर हिस्सा व अधिकार की हकदार हैं–निर्णीत, सभी पक्ष सम्पत्ति में 1/5 वां हिस्सा पाने के हकदार है।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

Citation- 2017(1) CJ(Civ.) (Raj.) पेज नं. 566–567 Kana Ram & ors vs. Board of Revenue, Ajmer & Anr.,

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 75 व 135 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956–धारा 6(यथा वर्ष 2005 में संशोधित) प्रत्यर्थी पुत्रियों के पक्ष में नामान्तरकरण प्रमाणित करने के निर्देश–विवेचन–मृतक खातेदार का पुत्र प्रार्थी यह दर्शित करने में असफल रहा कि भूमि मृतक बी की पैतृक भूमि थी–प्रत्यर्थी पुत्रियों को अपने पिता की सहदायिक सम्पत्ति में उसके हित की सीमा तक दावा करने से नहीं रोका जा सकता–निर्धारित विवादित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Citation – 2018(1)CJ(Civ.)(SC) पेज नं. 145 Danamma@ Suman Surpur & Anr vs Amar & ors.

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956–धारा 6(यथा वर्ष 2005 में संशोधित)–व्याप्ति–संशोधित अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन को तथा उससे सहदायिक की पुत्री पुत्र की भांति अपने स्वयं के अधिकार के द्वारा सम्पत्ति में सहदायिक होगी–संशोधित प्रावधान विधिक रूप से सहदायिकों की पुत्रियों के अधिकार को जन्म से विधिक मान्यता प्रदान करता है।

Citation- 2020(3) DNJ (Sc) 817,

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा 6 (9.9.2005 पर संशोधन किया गया)–सहदायी सम्पत्ति में पुत्री के अधिकार–संशोधन क्या भूतलक्षी है या नहीं–दो निर्णयों के बीच विरोधाभासी मत–रेफरेन्स–पुत्र की तरह पुत्री भी सहदायी है चाहे संशोधन के पूर्व जन्मी हो या बाद में और समान अधिकार और दायित्व रखती है–पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारति सम्पत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है– 9.9.2005 को पिता जीवित होना चाहिये आवश्यक नहीं है क्योंकि सहदायिकी में अधिकार जन्म से है–विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद भी पुत्र के समान पुत्रियां भी बराबर हिस्से की हकदार है–मौखिक विभाजन का अभिवाक् स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि विभाजन रजिस्टर्ड विभाजन विलेख द्वारा अथवा न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावी होता है–निर्णीत पुत्रीयों को धारा 6 के अन्तर्गत उनको प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और 9.9.2005 से अधिकार का दावा कर सकती है।

G.sekar Vs Geetha & ors on 15April, 2009 Supreme court of India एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने बहस के दौरान प्रश्नगत नामा0 को सही ठहराते हुए कथन किये है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति पर लागू नही होंगे जब तक कि केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे तथा अब तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नही हुई है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस का कहना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कोई

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

निर्णय देते है तो वे अधिनियम की व्याख्या करते है न की नई व्यवस्था करते है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने अपीलांटस द्वारा अपील में अंकित सजरा खानदान को स्वीकार करते हुए कथन किए है कि अनुसूचित जनजाति में विरासत लडके को जाएगी, लडकी को नही क्योंकि अनुसूचित जनजाति में यह परम्परा से तय होता है। अधिवक्ता रेस्पोडन्ट का कहना है कि नामांतरण एक फिस्कल प्रक्रिया है, इसके द्वारा किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नही होते है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने इस प्रकार कथन करते हुए अपीलांटस की अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने अपनी वहस के समर्थन में निम्नानुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम का उद्धरण व न्यायिक दृष्टांत पेश किए है:-

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) पेज नं. 96 ।

हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 2(2):- "उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी वात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जव तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे।"

न्यायिक दृष्टांत आरवीजे (एस) 1998 वीरम (मृतक) प्रेमा एवं अन्य वनाम गंगाराम एवं अन्य।

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "Hindu Succession Act 1956 – Section 2- Provisions of Hindu Succession Act are not applicable to the members of Schedule Tribe unless the Union Government by notification in official gazette otherwise directs. The Section 2 of the Act no doubt applies to the Hindus, but at the same time under sub section 3 of sec. 2 of the Hindu Succession Act it clearly lays down that the Act would not apply to the members of any Schedule Tribe, unless the Union Govt. By Notification in the Official Gazette otherwise directs. This clearly means that the devolution of agricultural tenancy as far as the scheduled Tribe are concerned would not be governed by the Hindu Succession Act. Further in absence of male issue, the daughters are entitled to succeed the agricultural land of their mother."

न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2002 (1) पेज नं. 45 Shri Bai vs. Smt. Pari Bai & Ors.

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि " Hindus Succession Act, 1956- Sec. 2(2) – Appeallant and respondent No. 3 who are daughters of deceased Sita, has filed this suit for declaration and permanent injunction which was decreed by trial court – But in first appeal the R.A.A. set aside the judgement and decree of trial Court – Hence the appeallant has filled this second appeal – Sita was original khatedar tenant – He has inherited the disputed land from his father as the land in dispute is ancestral – Sita expired after 1956 i.e. after coming in force of Hindu Succession Act – The parties are by caste Meena i.e. schedule Tribe – Hence as per sec. 2(2) of Hindu Succession Act, 1956. The provision of this Act is not applicable on schedule Tribe person – Therefore old Hindu Law is applicable – As per Mulla principle of Hindu Law 15th edition at page 118 to 132 is relavant – As per sec. 43(4) (iii) after the death of Sita widow, Rampi will inherite the property of Sita is absence of Son, grandson & grand grandson, because she has not remarriage after the death of Sita – Daughter has no right on the land left by Sita, Hence R.A.A. has rightly dismissed the suit of appeallant – The Second appeal was rejected."

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1987 Nanda Vs. Mst. Birdhi
उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि "Rajasthan Tenancy Act. Section 40 read with section 2 (2) of Hindu Succession Act – Till issue of notification contemplated in section 2 (2) of Hindu Succession Act – Schedule Tribes will, in matter of succession, continue to be governed by Hindu Law or their own customary law as the case may be"

न्यायिक दृष्टांत 2018 (2) CJ(Civ.)(SC) पेज नं. 559 Mangammal vs. T.B. Raju

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "हिन्दु विधि पैतृक सम्पत्ति कौनसी है ? – कोई भी सम्पत्ति जो पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता अर्थात पिता, दादा आदि के पुरूष वंश की पीढियों से न्यागत होती है, उसे पैतृक सम्पत्ति माना जाता है। " व "पैतृक सम्पत्ति–व्याप्ति तथा परिधि– सम्पत्ति जो माता, दादी, चाचा और यहां तक की भाई से प्राप्त हुई है, पैतृक सम्पत्ति नहीं है"

न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1990 पेज नं. 649 Jalandhar Singh Vs. Trilok Singh

उक्त कानूनी दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "Rajasthan Land Revenue Act, Section 135 – Mutation proceedings are fiscal in nature and do not finally determine the rights of the parties."

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने अपने अभिवाको के समर्थन में अन्य न्यायिक दृष्टांत

आरआरडी 1981 पेज नं. 361 Maddu v/s State of Raj.

आरआरडी 1989 पेज नं. 284 Mst. Phuma V. State of Raj.

आरआरडी 1987 पेज नं. 97 Ram Gopal V/s Smt. Ramnathi Bai and ors.

आरआरडी 1989 पेज नं0 572 Nathu Ram V. Chagna Ram पेश किये है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामा0 अभिलेख व अन्य दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 531 वाकै ग्राम सिसोदिया तहसील रामगढ पचवारा बाबत् पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस निर्देश के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जाती है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर विधिक वारिसान की जांच कर विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 7/4/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा